

5.8.24

वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी द्वारा डिक्री अनुसार शपथ रिकॉर्ड में अंकन होगा बताया। आवेदन पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फावली नंबर से नमूने हमारे कार्यालय दफतर हो।

आदेश से इत्तलाफ सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS

2023/335